राजस्थान विधान सभा

अन्वेषण एवं संदर्भ शाखा (कम्प्यूटर प्रभाग)

बुलेटिन भाग - 2

(विधान सभा के कार्य तथा अन्य विषयों के बारे में सामान्य जानकारी)

संख्या 84 जयपुर, दिनांक 21 दिसम्बर,2009

माननीय अध्यक्ष के निदेशानुसार समस्त माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राज्य सरकार द्वारा तेरहवीं राजस्थान विधान सभा में मुख्यमंत्री द्वारा सभी माननीय सदस्यों को लैपटॉप उपलब्ध कराये जाने की घोषणा के परिपेक्ष्य में प्रत्येक माननीय सदस्य को राशि रुपए 50,000/- (अक्षरे पचास हजार रुपए मात्र) की सीमा तक लैपटॉप मय प्रिन्टर आदि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 6(7)संसद/2009 दिनांक 9 सितम्बर, 2009 तथा समसंख्यक पत्र दिनांक 17 नवम्बर, 2009 के माध्यम से प्राप्त स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रत्येक माननीय सदस्य निम्न दिशा-निर्देशों के तहत लैपटॉप उपकरण क्रय कर सकेंगे -

1. माननीय सदस्य अपनी इच्छानुसार किसी भी मेक (Make) का लैपटॉप मय प्रिन्टर तथा लैपटॉप से सम्बद्ध अन्य एसेसरीज यथा माउस, की-बोर्ड, डाटा कार्ड, वैब कैमरा राशि रुपए 50,000/- (अक्षरे पचास हजार रुपये मात्र) की सीमा में अपनी सुविधानुसार कहीं से भी क्रय कर सकेंगे।
2. यदि किसी माननीय सदस्य द्वारा निर्धारित सीमा (राशि रुपये 50,000/-) से अधिक राशि के उपकरण क्रय किये जाते हैं तो व्यय की गई अतिरिक्त राशि माननीय सदस्य को स्वयं वहन करनी होगी।
3. लैपटॉप उपकरण क्रय किये जाने के संबंध में माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए निम्न प्रारम्भिक कॉन्फिग्रेशन का सुझाव है। माननीय सदस्य इससे उच्च कॉन्फिग्रेशन का लैपटॉप भी क्रय कर सकेंगे।

S.No.	Component Name	Component Description
1.	Processor	Intel Core 2 Duo T5880 (2.0 GHz, 2MB L2 Cache and 800 MHz FSB) or Higher Processor
2.	Chipset	Intel 965 GM or Higher Chipset
3.	Memory	2 GB DDR2 667 GHz or Higher Memory expandable to 4 GB
4.	Graphic Controller	Integrated graphic controller
5.	Sound Controller	Integrated sound controller with built-in Speakers, Mice & Headphone
6.	Network	10/100/1000 Mbps Gigabit LAN, Integrated 56 Kbps modem, Wireless LAN 802.11 a/b/g
7.	Storage	160 GB or Higher SATA HDD (5400 or Higher RAM)
8.	Optical Device	Built in DVD ± RW Drive (Dual Layer)
9.	Reader	Built in SD Card Reader
10.	Ports	4xUSB (2.0), 1xVGA, Headphones-out & Microphone-in, 1xRJ11, 1xRJ45, Express Card/PCMCIA slot
11.	Display	14.1" or Higher WXGA TFT display
12.	Keyboard	Keyboard with Palm Rest, Touch Pad with Scroll & Track Point
13.	Battery Backup	Min. 3 Hrs. Battery Backup under standard working conditions using Lithium Ion Rechargeable Battery
14.	Accessories	AC Power Adapter & Leather Carrying case etc.
15.	Preloaded OS	Preloaded MS Windows Vista Business/Win. 7 Professional Edition with Win. Vista/Win. 7 OEM Pack recovery CD
16.	Anti Virus	Preloaded Antivirus S/w (MCAFEE 8.1 or Later ver.)
17.	Warranty	3 years on-site Comprehensive Warranty (1 year warranty on battery)

कृ.प.उ.

4. यह भी सूचित करना है कि क्रय किये जाने वाले उपकरणों के कॉन्फिग्रेशन तथा उनकी कीमत के सम्बन्ध में माननीय सदस्य स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत ही उपकरण क्रय करें।

5. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस बुलेटिन के जारी होने की तिथि के पश्चात का बीजक सचिव, राजस्थान विधान सभा के नाम तीन प्रतियों में बनवायें तथा बीजक पर सभी उपकरणों का मॉडल सहित सीरियल नम्बर अंकित होना आवश्यक है जिसके आधार पर विधान सभा सचिवालय में उपकरणों की स्टॉक प्रविष्टी की जायेंगी तथा माननीय सदस्यों द्वारा क्रय किये गये लैपटॉप उपकरण राजकीय सम्पत्ति होंगे। फर्म से प्राप्त बीजक को माननीय सदस्य स्वयं सत्यापित कर (बीजक पर साफ अक्षरों में अपना नाम तथा विभाजन संख्या अंकित करते हुए अपने हस्ताक्षर करेंगे) भुगतान/पुनर्भरण के लिए विधान सभा को प्रस्तुत करेंगे। क्रय किये गये उपकरणों के बिल का भुगतान माननीय सदस्य की सहमति तथा सत्यापन के पश्चात सीधे फर्म को अथवा माननीय सदस्य द्वारा भुगतान कर दिये जाने की स्थिति में स्वयं माननीय सदस्य को पुनर्भरण किया जा सकेगा। बीजक की वांछित अहर्ताएं पूर्ण नहीं करने की दशा में भुगतान किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। उपकरणों को क्रय करने के लिए किसी प्रकार की अग्रिम राशि उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं होगा।

6. राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति के संबंध में सभी माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि कम्प्यूटर उपकरणों के संचालन एवं रख-रखाव तथा प्रयुक्त होने वाली स्टेशनरी आदि सभी कन्ज्यूमेबल्स का दायित्व माननीय सदस्यों का स्वयं का होगा। इस संबंध में किये गये किसी भी व्यय का भुगतान विधान सभा सचिवालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

7. यह भी सूचित करना है कि माननीय सदस्यों को विधान सभा सचिवालय द्वारा आयोजित होने वाले कम्प्यूटर अवेयरनेस कार्यक्रम में भाग लेना आवश्यक है। इसके अभाव में उनके लैपटॉप उपकरण के बीजक का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।

8. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि लैपटॉप उपकरण 28 फरवरी, 2010 से पूर्व क्रय कर बीजक भुगतान हेतु विधान सभा सचिवालय को प्रस्तुत कर दें जिससे इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जा सके। इसके पश्चात बजट व्यपगत हो जाने के कारण भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।

एच.आर. कुड़ी
सचिव